



# उत्तर विहार ग्रामीण बैंक

## क्षेत्रीय कार्यालय : मुजफ्फरपुर

### निलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित विभिन्न अस्तियों का प्रतिपूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल अस्तियों के विक्रय हेतु आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रतिमितियां को नोटिस दिया जाता है कि उत्तर विहार ग्रामीण बैंक सार्वजनिक निलामी के द्वारा सम्पत्ति की निलामी हेतु “जाया है, जहां है के आधार” पर आवेदक को अग्रधन राशि जमा करने की तिथि 24.06.2023 के पहले अथवा उक्त तिथि को अपराह्न 4.00 बजे तक आमंत्रित करता है।

| क्र. सं. | शाखा का नाम<br>कर्जदार/जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम   | 13 (2) के नाटिस के अनुसार बकाया राशि जिसकी वसुली के लिए समाप्ति बैंक जा रही है | संपत्ति का विवरण   | 1. मांग नोटिस की तिथि<br>2. अधिकृण नोटिस की तिथि | 1. आरक्षित मूल्य<br>2. ईएमडी        |
|----------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| 1.       | शाखा : मुजफ्फरपुर<br>ऋणी-मंसस यमुना हाइवेर स्टोर प्रो. श्री अवधेश कुमार पिता श्री सुर्यकेत ठाकर, ग्राम-पा.-मिहनपुरा, थाना-सरर, अंचल-मुशहरी, जिला-मुजफ्फरपुर, गारंट-1, सुन्दर राय पिता राय चंद्र राय, ग्राम-मंसपुर हलौंगा, चंद्रग कला, थाना - गोलाल, वैशाली-844112, 2. मा. खलिल पिता मा. जैनुरा, ग्राम-हरपुर नगरा, थाना-कटी, अंचल-कटी, मुज.-843005                               | रु. 2749115.99<br>एवं ब्याज तथा<br>अन्य खर्च                                   | भूमि एवं मकान श्री अवधेश कुमार पिता श्री सुर्यकेत ठाकर के नामित। जमावंदी नं.-389, खाता नं.-04, खेसरा नं.-27, थाना नं.-340, रकवा : 1.7 डेसिमल, मौजा - भिखनपुरा, थाना-सरर, अंचल-मुशहरी, सब रज. आफिस - मुजफ्फरपुर, जिला-मुजफ्फरपुर, चौहांदी-उरर-निज मनमोकि, दक्षिण-निज मनमोकि, पूरब-मनाज सिंह, पश्चिम- 12 फिट कच्ची रोड                   | 1. 25.08.22<br>2. 07.11.22                       | 1. रु. 570000/-<br>2. रु. 57000/-   |
| 2.       | शाखा : मुजफ्फरपुर<br>ऋणी-सुभाष कुमार पिता स्व. देवी नारायण प्रसाद, ग्राम-चमरपुर, खबड़ा रोड, पा.-खबड़ा, अंचल-मुशहरी, थाना - काजी माहम्मदपुर, जिला-मुजफ्फरपुर - 842001<br>गारंट-1. श्री विनय कुमार पिता स्व. देवी नारायण प्रसाद, 2. श्री राजेश्वर पठेल पिता श्री विश्वनाथ पठेल, ग्राम-चमरपुर, खबड़ा रोड, पा.-खबड़ा, अंचल-मुशहरी, थाना - काजी माहम्मदपुर, जिला-मुजफ्फरपुर - 842001 | रु. 1433922/-<br>एवं ब्याज तथा<br>अन्य खर्च                                    | भूमि एवं मकान सुभाष कुमार पिता स्व. देवी नारायण प्रसाद के नामित। मौजा - चमरपुर, खबड़ा रोड, पा.-खबड़ा, वार्ड नं.-28, जिला-मुजफ्फरपुर-842001, थाना नं.-346, खाता नं.-133, खेसरा नं.-877 एम, जमावंदी नं.-352, रकवा: 16 $\frac{1}{4}$ धुर, चौहांदी-उत्तर-सुरेश पाण्डेय, दक्षिण-रोड, पूरब-शार्ति देवी, पश्चिम- विनय कुमार ( सेकेन्ड पार्टी) | 1. 30.06.22<br>2. 21.09.22                       | 1. रु. 2868780/-<br>2. रु. 286878/- |

उपरोक्त सम्पत्ति की सार्वजनिक निलामी उत्तर विहार ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरपुर में दिनांक 27.06.2023 को अपराह्न 2:00 बजे से 4:00 बजे के बीच निम्नलिखित नियमों/शर्तों के तहत की जायेगी। 1. सम्पत्ति का अग्रधन राशि आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत निश्चित किया गया है। 2. आवेदन के साथ सम्पत्ति का अग्रधन राशि का डिमांड ड्राफ्ट-पे-आर्ड, उत्तर विहार ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरपुर पर देव ललनग हाना चाहिए अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे और आवेदक को निलामी में भाग नहीं लेने दिया जायेगा। 3. आरक्षित मूल्य से कम मूल्य में सम्पत्तियों की निलामी नहीं की जायेगी। 4. निलामी समाप्ति के बाद सबसे ऊची बाली लगाने वाले को बाली की रकम का 25 प्रतिशत तकाल जमा कराना होगा एवं शेष रकम निलामी तिथि से 15 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा। 5. सबसे ऊची बाली लगाने वाले को निलामी तिथि से 15 दिनों के अंदर पूरी रकम का भुगतान कर निलाम किये गये सम्पत्तियों को अपने स्वामित्व में ले लाना होगा अन्यथा उनके पक्ष में हैड निलाम को नियस करते हुए उनके द्वारा जमा की गई पूरी रकम को जबरीन कर लिया जायेगा। 6. निलामी में विफल आवेदकों का अग्रधन राशि का डिमांड ड्राफ्ट-पे-आर्ड निलामी स्थल पर ही वापस कर दिया जायेगा। सबसे ऊची बाली लगाने वाले सहित किसी भी आवेदकों का अग्रधन राशि का बिना कारण बताए निरस या अस्वीकृत करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित रहेगा, 7. उपरोक्त सम्पत्तियों को खरीदने के इच्छक क्रेता सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय प्रबंधक, मुजफ्फरपुर, मा.-9264210014, एवं वसुली एंजेट, मा. 6299261422 से सम्पर्क कर सकते हैं। 8. साथ ही बैंकों से संबंधित किसी भी आवेदकों के लिए इच्छुक क्रेता बैंक के बैंकसाइट [www.ubgb.in](http://www.ubgb.in) पर भी देख सकते हैं।

सरकारी आधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदारों/गारंटरदाता/कानूनी वारिसां/बंधककर्ता (ओ) को एदवारा सुनिश्चित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें, अमर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वंशक संपत्ति को वर्णित तिथि को बैंच दिये जायेगा और अगर कोई अन्य बाकाया शेष होगा तो इसे उक्त ब्याज, प्रभारों एवं व्यय के साथ उनसे बसूल किया जायेगा।

दिनांक : 20.05.2023

स्थान : मुजफ्फरपुर

प्राधिकृत अधिकारी